समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला नजारत शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–7644 दिनांक 05.08.2010 द्वारा जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं/पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराया जाना है। जहानाबाद जिला अन्तर्गत बोलेरो/टाटा सूमों/इनोवा/जाईलो/स्कॉर्पियो/इन्डिगो/ सफारी/एस0यू0भी0 वाहन या अन्य चार पहिया वाहन वरीय उप समाहर्त्ताओं/पदाधिकारियों के व्यवहार हेतु भाड़े पर वाहन चालक सहित उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है (सफेद रंग की गाड़ी–2015/2016 मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी), इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी अपने वाहन के सभी कागजात (निबंधन संख्या, बीमा का रसीद, अद्यतन कर भुगतान प्रमाण–पत्र) के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लीफाफा में दर निर्धारण हेतु निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

प्रथम		द्वितीय (प्रथम निविदा रद्द होने की स्थिति में)	
निविदा आमंत्रण की तिथि (3:00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (4:00 बजे सांय)	निविदा आमंत्रण की तिथि (3:00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (4:00 बजे सांय)
18.11.16	18.11.16	29.11.16	29.11.16

तकनीकी निविदा की शर्तें:–

(1) वाहन के निबंधन संख्या की अभिप्रमाणित छायाप्रति जो व्यवसायिक अन्तर्गत बिहार राज्य में निबंधित/Entry हो।
(2) वाहन के बीमा का अद्यतन रसीद संलग्न करना होगा।
(3) वाहन का अद्यतन परमिट/अद्यतन कर भुगतान प्रमाण–पत्र।
(4) वाहन का अद्यतन फिटनेस प्रमाण–पत्र।
(5) वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए।
(6) कोई भी निविदा निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(7) निविदादाता को निविदा के साथ मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिलाधिकारी, जहानाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।

सामान्य शर्तें:–

(1) भाड़े पर वाहन 11 महीने के लिए लिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
(2) भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव एवं उस पर होने वाले तेल एवं चालक का व्यय वाहन मालिक के द्वारा वहन किया जायेगा।
(3) भाड़े पर वाहन लिए जाने के 15 दिनों के भीतर जिला प्रशासन के द्वारा गठित समिति से वाहन मालिक को वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य होगा।
(4) वाहन मालिक को प्रतिमाह 1500 कि0मी0 का परिचालन करना होगा। महिने में वाहन का 1500 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने की स्थिति में ईंधन की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा लॉगबुक के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कारणवश वाहन का परिचालन महिने में 1500 कि0मी0 से कम रहता है तो वह व्ययगत नहीं होगा अपितु अगले माहों में समायोजित की जाएगी।
(5) भाड़े पर वाहन की निविदा ईंधन सहित एवं ईंधन रहित प्रतिमाह का दर अलग–अलग देना होगा तथा ए0सी0 एवं नन ए0सी0 गाड़ी की निविदा का दर भी अलग–अलग देना होगा।
(6) वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन/संबंधित कार्यालय के अधीन रहेगी। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस अवधि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की राशि कटौति कर भाड़े का भुगतान किया जायेगा व एक से अधिक बार होने पर जमानत की राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
(7) उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप मासिक न्यूनतम Bid देने वाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
(8) सरकारी कार्यालय में वाहन आपूर्ति किये जाने संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
(9) निविदा में बिना किसी कारण संशोधन/स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
(10) किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
(11) नियमानुसार आयकर आदि की कटौति की जायेगी।
(12) निविदा उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार जिला नजारत शाखा, जहानाबाद में प्राप्त की जायेगी।
(13) इसे जिले के वेबसाईट www.jehanabad.bih.nic.in एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार के वेबसाईट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

जिला नजारत उप-समाहर्त्ता,
जहानाबाद।

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जिला नजारत शाखा,
जहानाबाद।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

364
19/10/16

तकनीकी निविदा प्रपत्र–I

1.	निविदादाता का नाम एवं पूरा पता	
2.	निविदादाता का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0	
3.	अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है या नहीं?	
4.	PAN Card No. एवं छायाप्रति	
5.	विगत वर्ष का Return जमा करने संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति	
6.	यदि बिक्री कर एवं सेवा कर पंजीकरण कराये हों तो उसकी संख्या एवं छायाप्रति	
7.	वाहन के संबंध में विवरण	

क्र0	वाहन के विर्निमाता कम्पनी का नाम	वाहन का प्रकार एवं मॉडल संख्या	क्रय वर्ष	निबंधन संख्या	व्यवसायिक रूप से निबंधित है या नहीं?	AC/Non AC	बीमा की वैधता अवधि	कर भुगतान की वैधता अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा प्रपत्र–II

1.	निविदादाता का नाम एवं पूरा पता	
2.	निविदादाता का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0	

क्र0	वाहन के विर्निमाता कम्पनी का नाम	वाहन का प्रकार एवं मॉडल संख्या	क्रय वर्ष	भाड़ा प्रतिमाह ईंधन रहित	ईंधन खपत प्रति कि0मी0	प्रति	भाड़ा 1500 कि0मी0 प्रतिमाह के साथ ईंधन सहित/ईंधन रहित	अतिरिक्त प्रत्येक कि0मी0 का भाड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर